संख्या- 67 /2026/I/1516875 /2026/11-4099/2/2022

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 06 नवम्बर, 2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से जी0एस0टी0एन0 को देय Advance User Charges की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0एस0टी0/2026-27/E-271996/49/राज्य कर, दिनांक 30.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस यूजर चार्जेज (Advance User Charges) की द्वितीय किश्त के रूप में रु0 2970.00 लाख की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0एन0 को किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 2970.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-35/2026/I/1292523/2026/11-4099/70/2025 दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रु0 5000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रक्षित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में में पुनर्विनियोग के माध्यम से रु0 1815.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हो गयी है। वर्तमान में प्रश्नगत मद में रू0 2971.00 लाख (मूल बजट+पुनर्विनियोग से) का बजट उपलब्ध है। प्रश्नगत मद में रक्षित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 37/2026/I/1311674/2026/11-4099/2/2022, दिनांक 28.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस यूजर चार्जेज (Advance User Charges) की प्रथम किश्त के रूप में रु0 2970.00 लाख की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0एन0 को किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस यूजर चार्जेज (**Advance User Charges**) की प्रथम किश्त के रूप में रु0 3813.00 लाख की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0एन0 को किये जाने हेतु, शासन के उपर्युक्त पत्र दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के निवर्तन पर रक्षित/पुनर्विनियोग (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) के माध्यम से स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि के सापेक्ष रु0 2970.00 लाख (रुपये उन्तीस करोड़ सत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा।
5. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं की जायेगी।
6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by ARVIND SINGH
Date: 06-14-2026 14:34:38

(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(अरविन्द सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

# बी एम-9 (भाग - 1)

## पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

## (संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A011-20262027-11-4099-2-2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में लेखाशीर्षक-2040 बिकी, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-09- जी०एस०टी०एन० से सम्बन्धित व्यय में प्राविधानिक धनराशि से पुर्नविनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था / स्वीकृति प्रदान कराने के सम्बन्ध में ।

**निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण**

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089 | 2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-) | 01 (वेतन) | 6,37,25,00,000 रुपये छह अरब सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र | 19,35,00,000 रुपये उन्नीस करोड़ पैंतीस लाख मात्र | 18,15,00,000 रुपये अठारह करोड़ पन्द्रह लाख मात्र | 18,15,00,000 रुपये अठारह करोड़ पन्द्रह लाख मात्र | 6,19,10,00,000 रुपये छह अरब उन्नीस करोड़ दस लाख मात्र | 2026-2027 |

**कुल** ₹ 18,15,00,000 ₹ 18,15,00,000

**निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण**

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089 | 2040008000900 (जी0एस0टी0एन0 से संबंधित व्यय) | 42 (अन्य व्यय) | 50,00,00,000 रुपये पचास करोड़ मात्र | 18,15,00,000 रुपये अठारह करोड़ पन्द्रह लाख मात्र | 18,15,00,000 रुपये अठारह करोड़ पन्द्रह लाख मात्र | 68,15,00,000 रुपये अड़सठ करोड़ पन्द्रह लाख मात्र | 2026-2027 |
| कुल | | | | ₹ 18,15,00,000 | ₹ 18,15,00,000 | | |

**कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-**

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है-

शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिकी, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान की मानक मद 01- वेतन की सम्भावित बचत रू0 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र) होने की पूर्ण सम्म्भावना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक 2040-विकी, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्वन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय मे रु0 5000.00 लाख की धनराशि का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-37/2026/I/1311674/2026/11-4099/2/2022 दिनांक 28.04.2026 द्वारा Advance User Charges **की <u>प्रथम किस्त</u>** रू0 3813.00 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-63/2026/I/1499528/2026/ 11-4099/2/2022, दिनांक 21.10.2026 द्वारा TINXSYS प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव पर होने वाले व्यय में उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता/अंशदान राशि रु0 30.66784 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त भुगतान किये जाने के पश्चात वर्तमान में रू0 1156.33 लाख का ही बजट उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु GSTN को Advance User Charges की द्वितीय किस्त की धनराशि **रू0 29.70 करोड़** के भुगतान हेतु जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय की मानक मद-42-अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से **रू0 1815.00 लाख के अतिरिक्त बजट की** आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-157-E-9-134-X-2026-27-दिनांक: 28-10-2026

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव
अपर निदेशक वित्त।

संख्या : / , दिनांक- नवंबर, 2026

---

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।